

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 3892/11-सी- FP/UP/Road/117639/2021, लखनऊ, दिनांक: जून 28, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक(केन्द्रीय),  
भारत सरकार,  
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),  
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र के अंतर्गत ओबरा वन प्रभाग में पी०एम०जी०एस०वाई० द्वारा स्वीकृत पैकेज सं०-यू०पी० 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 15.567 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/06/03/2024/एफ०सी०/11, दिनांक 02.04.2024 एवं मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर का पत्रांक-5057/मी०क्षे०/33, दिनांक 27.06.2024

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के उपरोक्त पत्रांक-5057/मी०क्षे०/33, दिनांक 27.06.2024 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उपरोक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस अनुरोध के साथ अपलोड कर प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

18

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 3892/11-सी-FP/UP/Road/117639/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा।
3. अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र।

18

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।



**कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर**  
पत्रांक- 5057 / मी0क्षे0 / 33 / मीरजापुर, दिनांक, जून, 27, 2024

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,  
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
उ0प्र0 लखनऊ ।

विषय:-

जनपद सोनभद्र के अन्तर्गत ओबरा वन प्रभाग में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा स्वीकृत पैकेज संख्या-यू0पी0 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 15.567 हे0 अरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के कार्यालय के पत्र संख्या-08बी / यू0पी0 / 06 / 03 / 2024 / एफ0सी0 / 11 दिनांक-02.04.2024, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय के पत्रांक-3153 / 11-सी दिनांक-03.04.2024,

महोदय,

विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त 03 बिन्दुओं पर आपत्ति लगाते हुए, आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर, सूचना/अभिलेख उपलब्ध करने का निर्देश दिया गया है। जिसके अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 3159 / ओबरा / 15 भू0ह0 / दिनांक 20.06.2024 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण करते हुए सूचना/अभिलेख आन लाईन परिवेश-2 पोर्टल पर अपलोड कर निम्न प्रकार इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

| क्र0 सं0 | भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच0 अलीगंज लखनऊ के पत्र संख्या- 8बी / यू0पी0 / 06 / 03 / 2024 / एफ0सी0 / 11 दिनांक-02.04.2024 द्वारा की गयी आपत्ति। | निराकरण/आख्या                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Cross-section layout map with mentioning existing and proposed RoW needs to be submitted,                                                                                                                                          | इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा ले-आउट मैप की कापी संलग्न किया गया है। (संलग्नक-1)                                                                                                                                                  |
| 2        | It appears that in some stretches a parallel road is existing. Alignment needs to be modified to utilize the existing road.                                                                                                        | इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि संशोधित के0एम0एल0 फाइल ऑनलाइन अपलोड करते हुए ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कर दिया गया है।                                                                                        |
| 3        | Since proposed Non-Forest Land (NFL) for CA falls in Wild Life Sanctuary (WLS), comments of Chief Wildlife Warden (CWLW) are                                                                                                       | इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक-4004 / 33-1 दिनांक-06.06.2024 (छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-2) द्वारा अवगत कराया गया है कि "प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित के0एम0एल0 के अनुसार |

|                                                                                                  |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| required to ascertain that the CA scheme is in accordance with prescriptions of management plan. | प्रस्तावित गैर वन भूमि कैमूर वन्य जीव विहार के इकोसेन्सिटिव जोन की सीमा से बाहर है। |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

अतः प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा द्वारा प्रश्नगत बिन्दु की प्रेषित आख्या एतदसह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मनीष मिश्रा)

मुख्य वन संरक्षक

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

सख्या— 5057अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि—प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनीष मिश्रा)

मुख्य वन संरक्षक

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर



**कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।**  
**पत्रांक- 3159 / ओबरा / 15 भू0ह0**      **दिनांक- 20/06/ 2024.**

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,  
मीरजापुर क्षेत्र,  
मीरजापुर।

**विषय:-** जनपद सोनभद्र के अन्तर्गत ओबरा वन प्रभाग में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा स्वीकृत पैकेज संख्या-यू0पी0 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 15.567हे0 अरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

**सन्दर्भ:-** भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के कार्यालय के पत्र संख्या-08बी/यू0पी0/06/03/2024/एफ0सी0/11 दिनांक-02.04.2024, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय के पत्रांक-3153/11-सी दिनांक-03.04.2024, इस कार्यालय के पत्रांक-2465/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-05.04.2024, पत्रांक-2911/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-25.05.2024.

महोदय,

अवगत कराना है कि विषयक प्रस्ताव आन लाईन परिवेश-2 पोर्टल के माध्यम भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के कार्यालय में प्रेषित किया गया। भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त 03 बिन्दुओं पर आपत्ति लगाते हुए, आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर, सूचना/अभिलेख उपलब्ध करने का निर्देश दिया गया है। जिसके क्रम में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्ति का निराकरण करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-2465/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-05.04.2024, पत्रांक-2911/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-25.05.2024 द्वारा प्रस्तावक विभाग से अनुरोध किया गया। प्रस्तावक विभाग के कार्यालय के पत्रांक-475/यू0पी0 671457पी0एम0जी0एस0वाई0/2024 दिनांक-11.06.2024 द्वारा बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण करते हुए सूचना/अभिलेख आन लाईन परिवेश-2 पोर्टल पर अपलोड किया गया है। उक्त के क्रम में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नानुसार है:-

| क्र0सं0 | भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्ति                                                                                                                                                                                            | निराकरण/आख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Cross-section layout map with mentioning existing and proposed RoW needs to be submitted,                                                                                                                                     | इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा ले-आउट मैप की कापी संलग्न किया गया है। (संलग्नक-1)                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2       | It appears that in some stretches a parallel road is existing. Alignment needs to be modified to utilize the existing road.                                                                                                   | इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि संशोधित के0एम0एल0 फाइल ऑनलाइन अपलोड करते हुए ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कर दिया गया है।                                                                                                                                                                          |
| 3       | Since proposed Non-Forest Land (NFL) for CA falls in Wild Life Sanctuary (WLS), comments of Chief Wildlife Warden (CWLW) are required to ascertain that the CA scheme is in accordance with prescriptions of management plan. | इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक-4004/33-1 दिनांक-06.06.2024 (छायाप्रति संलग्न है, संग्नक-2) द्वारा अवगत कराया गया है कि "प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित के0एम0एल0 के अनुसार प्रस्तावित गैर वन भूमि कैमूर वन्य जीव विहार के इकोसेन्सिटीव जोन की सीमा से बाहर है।" |

अतः भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार सूचना/अभिलेख संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुराग प्रियदर्शी)

प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

संख्या- 3159 अ/सम दिनांकित।

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(अनुराग प्रियदर्शी)

प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

0/0

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।

पत्र संख्या- 4004

/33-1 दिनांक, मीरजापुर, जून 06, 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
ओबरा वन प्रभाग ओबरा,  
सोनभद्र।

विषय: जनपद सोनभद्र के अन्तर्गत ओबरा वन प्रभाग में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा स्वीकृत पैकेज संख्या-यू0पी0-67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम मार्ग में प्रभावित 15.567हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ: 1-भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्र सं0-8बी/यू0पी0/06/03/2024/एफ0सी0/11 दिनांक-02.04.2024  
2-कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र का पत्रांक-371/67145 पी0एम0जी0एस0वाई0/2024, दिनांक-01.05.2024

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र का पत्रांक-335/67145-पी0एम0जी0एस0वाई0/2024, दिनांक-18.04.2024 द्वारा चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम मार्ग के निर्माण में प्रभाग में प्रभावित होने वाली 15.567हे0 वन भूमि के बदले ग्राम जुगैल, परगना-अगोरी, तहसील-ओबरा, जनपद-सोनभद्र के आराजी गाटा संख्या 5380ख मि0-2.4353हे0, 5381 मि0-0.3461हे0, 5382क मि0-10.9227हे0, 5384-0.5411हे0, 5385ख-1.3218हे0 कुल 15.5671हे0 गैर वन भूमि का के0एम0एल0 फाईल प्रेषित करते हुये भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्र सं0-8बी/यू0पी0/06/03/2024/ एफ0सी0/11 दिनांक-02.04.2024 के द्वारा निम्न बिन्दु सं0-03 के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

3- Since proposed Non-Forest Land (NFL) for CA falls in Wild Life Sanctuary (WLS), comments of Chief Wildlife Warden (CWLW) are required to ascertain that the CA scheme is in accordance with prescriptions of management plan.

उपरोक्त के क्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी गुर्मा रेंज द्वारा प्रेषित उपरोक्त बिन्दु सं0-3 की आख्या व वन्य जीव प्रतिपालक कैमूर वन्य जीव विहार चूर्क-सोनभद्र द्वारा प्रेषित सहमति आख्या के आधार पर अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित के0एम0एल0 के अनुसार प्रस्तावित गैर वन भूमि, कैमूर वन्य जीव विहार के इकोसेन्सिटीव जोन की सीमा से बाहर है।

भवदीय  
*Tapas Mishra*  
(तापस मिहिर)

प्रभागीय वनाधिकारी  
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।

संख्या- / समदिनांक।

प्रतिलिपि-अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(तापस मिहिर)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग,  
सोनभद्र।

(Email ID - pmgsypwdsonbhadra@gmail.com)

पत्रांक:- 475 /UP67145 -पी0एम0जी0एस0वाई0/2024  
सेवा में,

दिनांक :- 11.06.2024

प्रभागीय वनाधिकारी,  
ओबरा वन प्रभाग,  
ओबरा सोनभद्र।

विषय:- जनपद सोनभद्र के अन्तर्गत ओबरा वन प्रभाग में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा स्वीकृत पैकेज संख्या यू0पी0 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई बाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 15.5670 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्र संख्या - 8बी/यू0पी0/06/03/2024/एफ0सी0/11 दिनांक 02.04.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा वांछित बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है :-

| क्र0सं0 | बिन्दु                                                                                                                                                                                                                        | आख्या                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Cross - section layout map with mentioning existing and proposed RoW needs to be submitted.                                                                                                                                   | इस बिन्दु के अनुपालन में ले-आउट मैप की कॉपी संलग्न है (संलग्नक-1)।                                                  |
| 2       | It appears that in some stretches a parallel road is existing. Alignment needs to be modified to utilize the existing road.                                                                                                   | इस बिन्दु के अनुपालन में संशोधित के0एम0एल0 फाइल ऑनलाइन अपलोड करते हुए ई-मेल के माध्यम से आपको प्रेषित कर दी गयी है। |
| 3       | Since proposed Non-Forest Land (NFL) for CA falls in Wild Life Sanctuary (WLS), comments of Chief Wildlife Warden (CWLW) are required to ascertain that the CA scheme is in accordance with prescriptions of management plan. | इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर की आख्या संलग्न है (संलग्नक-2)।        |

अतः उपरोक्त बिन्दुओं की आख्या ऑनलाइन अपलोड कर दी गयी है एवं आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता,  
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,  
लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र।

पत्रांक:- / -पी0एम0जी0एस0वाई0/2024  
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

दिनांक :-

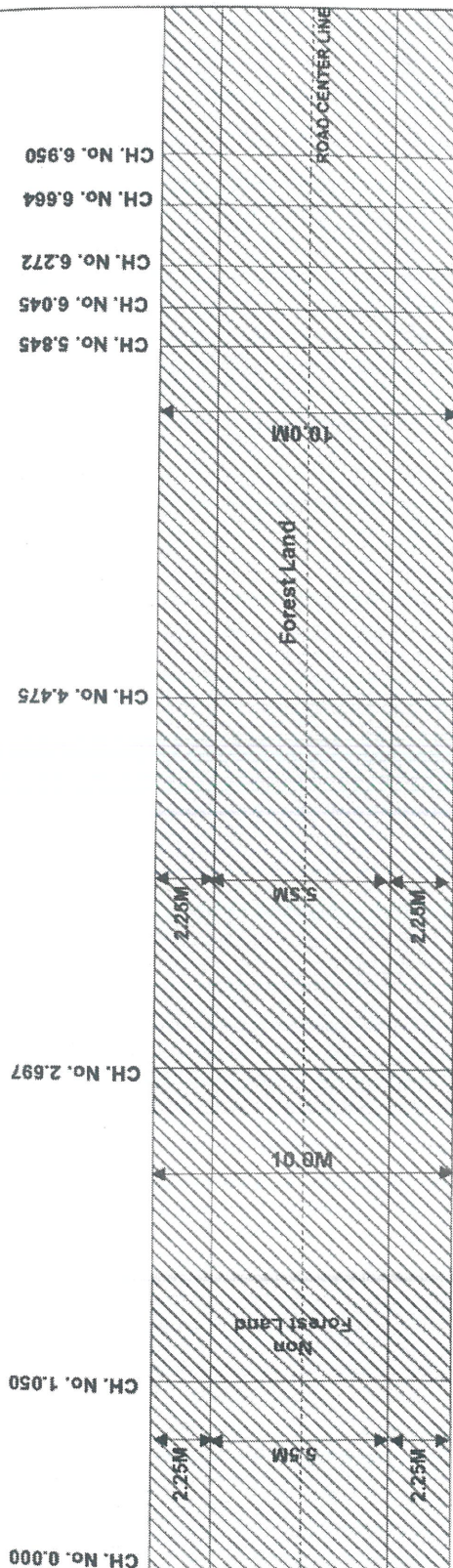
- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
- प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।
- मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 क्षेत्र, लो0नि0वि0, प्रयागराज।
- अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लो0नि0वि0, वाराणसी।

अधिशासी अभियन्ता,  
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,  
लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र।



# LINEAR STRIP PLAN

WIDENING & STRENGTHENING OF CHOPAN-MAHALPUR ROAD TO PARSOI ROAD VIA KHEWANDHA CHAKARI OBRA DAM ROAD, FROM KM. NO. 0.000 TO 20.600 UNDER ROAD CONNECTIVITY PROJECT ON LEFT WING EXTREMISIM AREA (RCPLWEA) IN TAH:- ROBERTSGANJ, DISTRICT:- SONBHADRA BY PMGSY-DIVISION, P.W.D. SONBHADRA (U.P.)



रमेश चन्द (कटियार)  
अधिकारी अभियन्ता  
पी.एम.जी.एस.डी. डिवीजन, सोनभद्रा  
(Authorised Signatory)

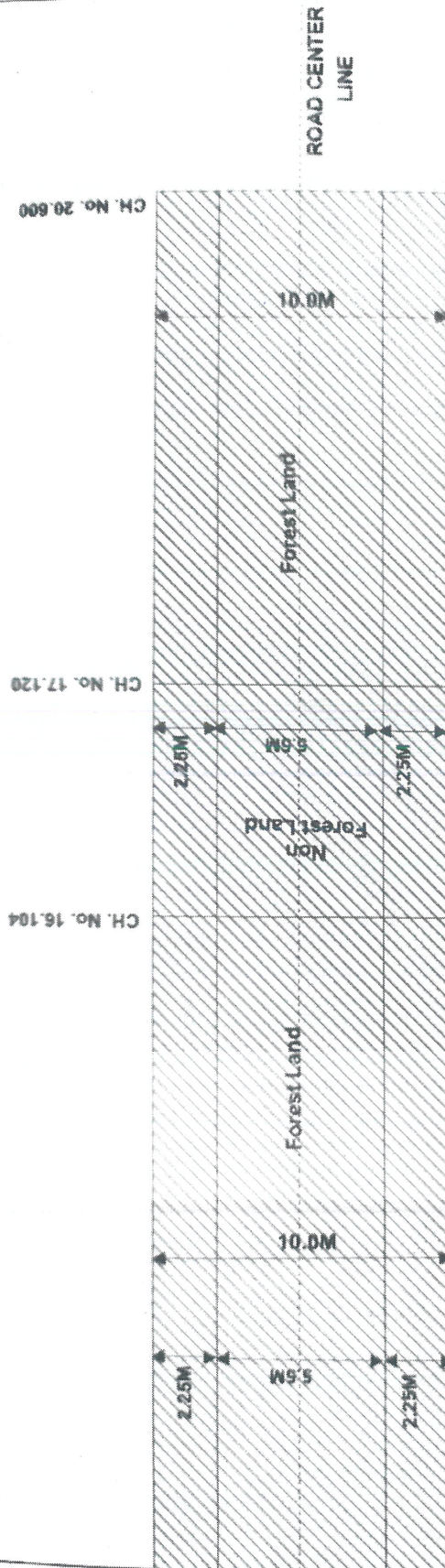
P.M.G.S.Y. DIV. P.W.D. Sonbhadra

Prashant Yadav  
Executive Engineer  
PMGSY Division  
P.W.D.-Sonbhadra

परिवहन विभाग  
ग्रामीण विकास  
डी.पी.एम.जी.एस.डी. डिवीजन, सोनभद्रा

# LINEAR STRIP PLAN

WIDENING & STRENGTHENING OF CHOPAN-MAHALPUR ROAD TO PARSOI ROAD VIA KHEWANDHA CHAKARI OBRA DAM ROAD, FROM KM. NO. 0.000 TO 20.600 UNDER ROAD CONNECTIVITY PROJECT ON LEFT WING EXTREMISM AREA (RCPLWEA) IN TAH:- ROBERTSGANJ, DISTRICT:- SONBHADRA BY PMGSY-DIVISION, P.W.D. SONBHADRA (U.P.)



Prashant Yadav  
Executive Engineer  
PMGSY Division  
P.W.D.-Sonebhadra

(Authorised Signatory)

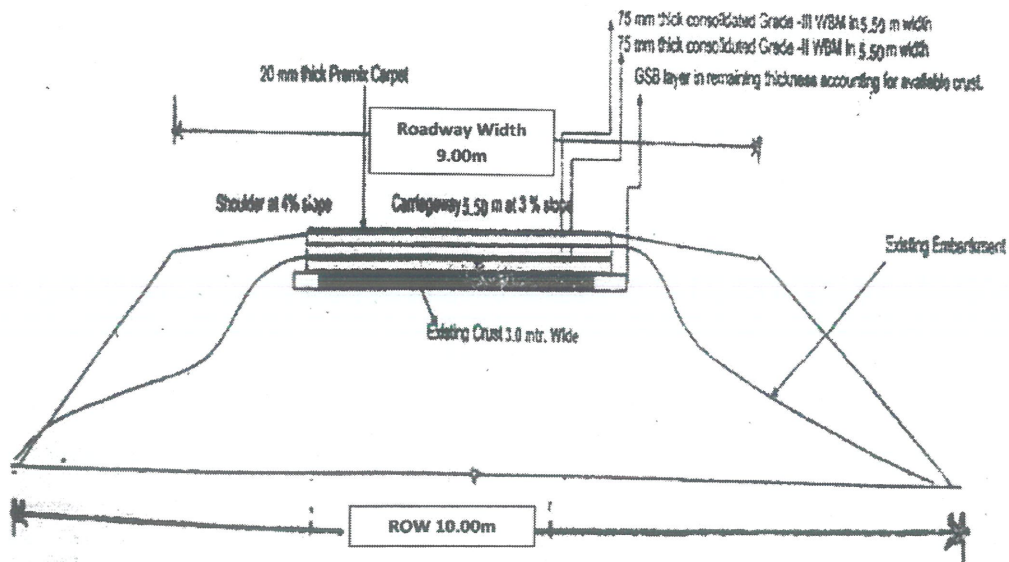
P.M.G.S.Y. DIV. P.W.D. Sonbhadra



**NAME OF WORK:-** WIDENING & STRENGTHENING OF CHOPAN-MAHALPUR ROAD TO PARSOI VIA KHEWANDHA, CHAKARI & OBRA DAM FROM KM 0.000 TO 20.600 UNDER ROAD CONNECTIVITY PROJECT ON LEFT WING EXTREMISM AREA (RCPLWEA) IN TAH-ROBERTSGANJ, DISTT- SONEBHADRA BY PMGSY DIVISION, PWD, SONEBHADRA.

### TYPICAL X-SECTION FOR UPGRADATION

FORMAT - 3



Prashant Yadav  
Executive Engineer  
PMGSY Division  
P.W.D.-Sonebhadra

प्रतिष्ठापक  
प्रशासकीय अधिकारी  
अधिस वन प्रभाग  
ओबरा-सोनभद्र

रमेश चन्द्र (कटियार)  
अधिसारी अधिवक्ता  
पी.एम.जी.एल.वार्ड, सण्ड,  
सो.पि.वि., सोनभद्र



